**फर्द अहकाम**

# FORM NO. III

**न्यायालय – सिविल न्यायाधीश, अंता, जिला बारां (राज0)**

**बउनवान रामगोपाल सुमन उर्फ गोपाल बनाम अधिशाषी अभियंता, अंता वगैरह,**
**दीवानी वाद संख्या – 56/2018**
**सी0आई0एस0 नंबर – 56/2018**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **09.03.2026** | वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सुमन न्यायालय समक्ष उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चंद काबरा न्यायालय समक्ष उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 5 लगायत 9 के विरूद्ध पूर्व से एकपक्षीय कार्यवाही नियत है।<br><br>प्रतिवादी क्रम 10 को न्यायालय द्वारा पूर्व में डिलीट किया जा चुका है। इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांकित 29.04.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।<br><br>प्रकरण के संक्षिप्त में वादी/अप्रार्थी रामगोपाल सुमन द्व ारा एक हस्तगत वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश तथा सुखाधिकारों की घोषणा बाबत् इस न्यायालय समक्ष दिनांक 12.11.2018 को पेश किया गया था, जहां कि उसके द्वारा निवेदन किया गया था कि ग्राम नागदा तहसील अंता में उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 923 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 925 रकबा 0.05 हेक्टेयर, कुल किता 0.18 हेक्टेयर स्थित है, जो कि गत पैंतालीस वर्षों से, पलायथा ब्रांच नहर से आउटलेट नंबर 28 के धोरे से सिंचित है। इस प्रकार वादी को उक्त धोरे का सुखाधिकार प्राप्त है। उक्त धोरे का अंकन सी.ए.डी. के पुराने नक्शे में भी अंकित है। यह कि आउटलेट नंबर 28 का धोरा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 के अंतर्गत आता है। उक्त धोरा, अन्य खेतों के खसरा नंबर से होकर, प्रतिवादी क्रम 8 एवं प्रतिवादी क्रम 9 की भूमि, खसरा नंबर 931 एवं खसरा नंबर 932 की मेढ़ के सहारे बने धोरे से वादी की भूमि पर आता है। यह कि प्रतिवादी क्रम 6 एवं प्रतिवादी क्रम 7 द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर, प्रतिवादी क्रम 8 की सहमति के बिना बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है।<br><br>**..... 2 पर** | |

यह कि खसरा नंबर 931 एवं खसरा नंबर 932 की मेढ़ के स्थान पर, बाउंड्री बनाने से, खसरा नंबर 931 एवं खसरा नंबर 932 के मेढ़ के सहारे बने, वादी की सिंचाई हेतु धोरा, अवरूद्ध हो गया है। वादी द्वारा दिनांक 28.12.2017 को प्रतिवादिया क्रम 9 की भूमि खसरा नंबर 932 में खसरा नंबर 931 की बाउंड्री वॉल के सहारे धोरा निकालने को कहा गया, तो प्रतिवादिया क्रम 9 ने उसे मना कर दिया। उक्त तथ्यों के आधार पर, वादी/अप्रार्थी द्वारा हस्तगत वाद पत्र पेश कर न्यायालय से निम्न अनुतोष चाहा गया है –

1. कि वादी की संयुक्त खाते की भूमि वाके ग्राम नागदा, तहसील अन्ता में स्थित खसरा नंबर 923 रकबा 0.13 हे., खसरा नंबर 925 रकबा 0.05 हे. कुल किता 0.18 हे. की सिंचाई हेतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी कम 8 ता 9 के क्रमशः खसरा नंबर 931 एवं 932 की मेड़ (बाउंड्री वॉल) के सहारे बने रिकार्डेड धोरे को खुलासा कर पूर्ववत् सिंचाई की व्यवस्था स्थापित की जावें।

2. कि वादी को प्रतिवादी क्रम 8 ता 9 के क्रमशः खसरा नंबर 931 एवं 932 की मेड़ (बाउंड्री वॉल) के सहारे बने, धोरे से वादी अपनी भूमि खसरा नंबर 923 रकबा 0.13 हे. एवं खसरा नंबर 925 रकबा 0.05 हे. में नहरी, पानी से सदैव अर्सा 45 वर्षों से अधिक समय से सिंचाई करता आ रहा है। इसलिये वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ नहरी पानी को सिंचाई हेतु लाने–बन्द्ध करने के लिये मेड़ पर आने जाने तथा उक्त धोरे से नहरी पानी की सिंचाई करने की सुखाधिकारों की घोषणा की जावें।

3. कि प्रतिवादी क्रम 6 ता 7 ने खसरा नंबर 931 की भूमि पर, विधायक कोष से प्राप्त राशि से अवैधानिक तरीके से बाउंड्री वॉल बनाकर, जबरन वादी का उक्त सिंचाई हेतु बना धोरा अवरूद्ध कर दिया है। इसलिए उक्त धोरे को आदेशात्मक व्यादेश से तुरंत प्रभाव से खुलासा करवाया जावें और पूर्ववत् रिकार्ड एवं मौका अनुसार सी.ए.डी. के नये नजरी नक्शे में धौरा अंकन करने एवं धोरा पक्का बनाये जाने का आदेश जारी फरमाया जावें तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण एवं उनके प्रतिनिधिगण के खिलाफ जारी फरमाई जावें कि भविष्य में उक्त धोरे को अवरूद्ध नहीं करें।

4. कि वादी की भूमि खसरा नंबर 923 रकबा 0.13 हे. एवं खसरा नंबर 925 रकबा 0.05 हे. को सिंचाई हेतु प्रतिवादी क्रम 10 से आम रास्ते खसरा नंबर 929 की नीचे सिंचाई हेतु दबा नया पाईप डलवाया जावें, जिस पर प्रतिवादीगण, किसी प्रकार किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

**..... 3 पर**

उक्त वाद में ही, प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर, न्यायालय से निवेदन किया जा रहा है कि अप्रार्थी/ वादी द्वारा पेश वाद, सुखाधिकार के आधार पर, धोरे का खुलासा किये जाने हेतु पेश किया गया है। अप्रार्थी/वादी का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 एवं 207 के अंतर्गत विधि विरूद्ध है। मौके पर सरकारी भवन का निर्माण हो चुका है। वादी की खातेदारी भूमि बरानी है, जो कि असिंचित है। अतः वादी की ओर से पेश वाद पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में, अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी द्वारा प्राप्त की गयी, जिन्होनें प्रार्थना पत्र का खंडन करते हुये, न्यायालय से निवेदन किया कि उनका वाद मूलतः सुखाधिकार की घोषणा से संबंधित है, जिस संबंध में रिलीफ, दीवानी न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता हैं। यदि सुखाधिकार संबंधित दावें को खारिज किया जाता है तो सुखाधिकार संबंधी कानून पर कुठाराघात होगा। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर न्यायालय से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी/वादी पक्ष द्वारा वाद पत्र में अपनी भूमि को नहर द्वारा सिंचित बताया गया है, जबकि उसी के द्वारा पेश दस्तावेजात के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उसकी स्वामित्व की भूमि बरानी है, जो कि नहर द्वारा सिंचित नहीं होती है। ऐसे में, दीवानी न्यायालय को हस्तगत वाद सुनने का कोई श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र का खंडन करते हुये, अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी तथा साथ ही यह कथन किया गया कि मूल वाद सुखाधिकार के संबंध में है, जो कि दीवानी न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। उनके द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये गये है :–

**1. Cheetar Singh Versus, Rajasthan High Court, Jodhpur, Order Dated - 09-05-2019**

**2. Bhuraram Versus Maina Devi, 2017(3) CJ Civ. Raj.**

**3. Ram Singh & Ors. Versus Sahabram, 2018(1) CJ (Civ) (Raj.) 629 = 2018 (2) DNJ (Raj.) 481**

..... 4 पर

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से, न्यायालय समक्ष अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत पेश किया गया है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **Saleem Bhai and others vs State of Maharastra and others AIR 2003 SC 759** सुसंगत है, जहां कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के संबंध में निम्न मार्गदर्शन दिया गया है —

**"A perusal of O. VII R. 11 C.P.C. makes it clear that the relevant facts which need to be looked into for deciding an application thereunder are the averments in the plaint. The Trial Court can exercise the power under O. VII R. 11 C.P.C. at any stage of the suit before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under Cls (a) and (d) of R. 11 of O. VII C.P.C., the defendant in he written statement would be wholly irrelevant at that stage, therefore, a direction to file the written statement without deciding the application under O. VII R. 11 C.P.C. cannot but be procedural irregularity touching the exercise of jurisdiction by the trial court. "**

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन तक ही सीमित रहना चाहिये।

यदि समग्र वाद पत्र का गहनता से अवलोकन करें तो मूल विवाद वादी/अप्रार्थी की ग्राम नागदा स्थित भूमि खसरा नंबर 923 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 925 रकबा 0.05 हेक्टेयर कुल किता 0.18 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु बने धोरे के अवरूद्ध होने के संबंध में है।

**..... 5 पर**

अप्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया जा रहा है कि उसके द्वारा उक्त भूमि की सिंचाई पलायथा, ब्रांच नहर से आउटलेट नंबर 28 के धोरे से 45 वर्षों के अधिक समय से की जा रही है, ऐसे में, उसे उक्त धोरे का सुखाधिकार प्राप्त है, परंतु यदि वादी द्वारा वाद पत्र के साथ पेश, विवादित भूमि की जमाबंदी का अवलोकन करें तो **उक्त जमाबंदी में वादी की भूमि को बरानी के रूप में अंकित किया गया है।** ऐसे में, वादी द्वारा पेश वाद एवं वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में, अंतर्विरोध प्रतीत होता है। यह कि वादी द्वारा न्यायालय से सुखाधिकार की घोषणा के साथ साथ पूर्व में बने धोरे के खुलासा एवं सिंचाई की व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु, साथ ही सी.ए.डी. के नजरी नक्शे में धोरा अंकित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। जैसा कि उपरोक्त वर्णित है कि मूल विवाद, पलायथा ब्रांच नहर के धोरे से संबंधित है, इस संबंध में, राजस्थान सिंचाई जल निकासी अधिनियम, 1954 सुसंगत है, जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य में सिंचाई और जल निकासी को विनियमित करना है, यदि उक्त अधिनियम की धारा 52 का अवलोकन करें तो, जो कि निम्न प्रकार है –

**52. इस अधिनियम के अंतर्गत दीवानी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार – 'जब तक कि इसमें अन्यथा प्रावधान न हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी कार्य के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध सभी दावों की सुनवाई दीवानी न्यायालयों द्वारा की जा सकती है, परन्तु ऐसा कोई भी न्यायालय किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश के समय बोई या उग रही किसी फसल को पानी की आपूर्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा।'**

उपरोक्त धारा 52 के प्रकाश में, दीवानी न्यायालय द्वारा फसल में पानी की आपूर्ति के संबंध में, किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थी/वादी पक्ष द्वारा यह कथन किया जा रहा है कि उसके द्वारा हस्तगत वाद मूलतः सुखाधिकार की घोषणा के संबंध में है, परंतु यदि वाद पत्र का अवलोकन करें तो अप्रार्थी/वादी द्वारा मूलतः धोरे के निर्माण हेतु एवं सी.ए.डी. के नक्शे में संशोधन हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया है। यह कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत विचारणीय न्यायालय के लिये यह आवश्यक रहता है कि वह संपूर्ण वाद पत्र का अवलोकन कर, यह सुनिश्चित करें कि वादी द्वारा **चतुर प्रारूप कर, मिथ्यापूर्ण वाद हैतुक उत्पन्न नहीं किया गया है।**

**..... 6 पर**

इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत **Sopan Sukhdeo Sable & Ors. Versus Assistant Charity Commissioner, AIR 2004 SUPREME COURT 1801** सुसंगत है, जहां कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के संबंध में निम्न मार्गदर्शन दिया गया है –

**The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.**

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में, वाद पत्र के समग्र अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से सुखाधिकार की घोषणा की आढ़ में न्यायालय से पलायथा ब्रांच नहर के आउटलेट नंबर 28 के धोरे का निर्माण कराये जाने हेतु आवेदन किया जा रहा है, जो कि राजस्थान सिंचाई जल निकासी अधिनियम 1954 की धारा 52 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, अतः न्यायालय के विनम्र मत में, प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर, हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांकित 29.04.2025 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी/वादी द्वारा पेश हस्तगत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**(सिद्धांत शर्मा)**
**सिविल न्यायाधीश**
**अंता, जिला बारां राज.**